

10.5.17

पद्मावती आज राजस्व लोक अदालत, केम्प कोर्ट
वसई साभन्ता के पेश हुई। -वाही एवं परिवारी
(सायल व जेरसायल) के तमीलबुदा नोटिस
प्राप्त हुए। पद्मावती का भवलोका किया।
सायल का कथन है कि वह एवं जेरसायल
विवदित आराजी के सह लोकेदार हैं।
तथा जेरसायल लट्ट - चलात्र वाले।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

व्याजिते हैं। तथा आये दिन जगड़ा
करता है तथा पक्के निगमि की
ध्वजकी देता है व सायल को कश्त
गती करके दे रहा है। और सायल
उपाख्येक नहीं आया। और ना ही
अभी तक कोई जखन जखना
पण पेश किया है।

हमने पणवली का आवलोकन
किया। तथा कोठी केम्प में जाण्ड
स्वीकार किया जाना उचित समझते
हैं। अतः आदेश है की सायल
का पणवली पर 212 RGA स्वीकार
किया जाता है। तथा दिनांक 30-6-76
को जारी अस्थाई निसेबाण मूल
वाद के निस्तारण तक पुछपुछ
की जाती है। पणवली केसलशुमार
लेकर संलग्न मूल वाद रहे। आदेश
सुनाया गया।

मी
पुष्पाब
धीलपुर (राज०)

शेखर कुमार

राम कुमार
सरपंच
ग्राम पंचायत बरह साहित्य
क० ३०० धीलपुर